5-8-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. [redacted] जनपद मिटिंग
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अधि.उप. आयन्दा दिनांक 2-9-19
को पेश हो।

रीडर

2-9-19 वकील वादी उप0। मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस वकील वादी सुनी गई। वास्ते आदेश दि0 11-9-19 को पेश हो

11-9-19 वकील वादी उप0। दावा वादी डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास [अलवर]

अध्यासित द्वारा:- श्री सुरेन्द्र प्रसाद [आर.ए.एस.]

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
112	20-7-18	11-9-19

उनवान

1- रामपाल सिंह पु. श्री हरीपाल सिंह जाति जाट निवासी बाछा रोड किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादी

बनाम

1- राज. सरकार जरिये तहसीलदार[भूमिधारी] किशनगढ़-बास

2- इन्दरसिंह पु० स्व. श्री खिलासिंह उर्फ खिलारसिंह जाति लबाना सिख निवासी ग्राम घोलनी तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-प्रतिवादीगण।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति:-1- श्री सैय्यदखान वकील वादी की ओर से।
2- प्रति. नं. 2 की ओर से एकबाल जवाबदावा।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के संक्षिप्त वृत्तान्त निम्न प्रकार से हैं:- वादी ने वाद पेश किया कि साबिक ख.नं. 957/1-16 व अन्य खसरा नम्बरान को मिलाकर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा ख.नं. 963/17-05 वाके ग्राम घोलनी बनाया गया है जिसमें आ.ख.नं. 957/1-16 साबिक भी सम्मिलित है। साबिक ख.नं. 957/1-16 सम्वत् 2010 से ही खिलू सिंह उर्फ खिलासिंह शरणार्थी के नाम किस्म टहरी दर्ज है तथा सम्वत् 2015 के पश्चात खिलासिंह पुत्र हरनासिंह ने रकम राजकोष जमा कराकर सनद प्राप्त करली थी। सम्वत् 2029 में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में बदलकर सिवायचक बंजड दर्ज कर दिया। जिसमें दीगर खसरा नम्बरान को मिलाकर एक भिन्न नम्बर 963/17-05 बना दिया गया।

खिलूसिंह पुत्र हरनासिंह की मृत्यु हो चुकी है उसकी मृत्यु के पश्चात् खिलूसिंह के एक मात्र वारिस इन्दरसिंह पुत्र खिलूसिंह आराजी पर काबिज काश्त रहा है। दिनांक 15-5-12 को प्रतिवादी सं. 2 इन्दरसिंह ने उक्त आराजी वादी को जरिये इकरारनामा 400000/-रू. बेचान करदी तथा बेचान की समस्त राशि प्राप्त करली।

Scanned by CamScanner

इन्दरसिंह ने बाद बेचान वादी को मौके पर कब्जा सौंप दिया तब से ही वादीगण काबिज काश्त है आज भी मौके पर कब्जा काश्त है। प्रति. नं. 2 इन्दरसिंह ने आराजी का बेचान मिन वादी को कर मिन वादी से समस्त प्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त आराजी पर मिन वादी को काबिज करा दिया है। जिसके कारण उक्त आराजी का मिन वादी पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है। मिन वादी से नियमानुसार कीमत कर्जा जमा कराया जाकर पट्टा जारी किया जावे। जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

आराजी विवादित से प्रतिवादी अथवा किसी अन्य का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है. आराजी विवादित पर वादी शांतिपूर्वक काबिज व रहकर काश्त कर रहा है . दिनांक 20-5-18 को वादी ने प्रतिवादी से आराजी विवादित का नियमानुसार कीमत कर्जा जमा कराकर पट्टा अपने हक में जारी कर खातेदारी अधिकारी वादी के हक में दर्ज करने के लिए व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड में वादी के हक में आराजी का खातेदार काश्तकार का अंकन करने के लिए निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी ने दुरुस्ती करने से साफ इन्कार कर दिया, तथा आराजी को दीगर को आवंटन करने की ऐलानिया धमकी दी। जबकि वादी के अधिकार कानूनन रक्षित है।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व ग्रुप-10/पुनर्वास विभाग पं. 1(15) राज-पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 30-3-12 को एक परिपत्र जारी किया हुआ है, जिसमें निष्क्रान्त सम्पत्ति पर काबिज आवंटियों के अतिरिक्त सभी प्रकार के गैर खातेदार, पट्टेदार, मौरूसी, गैर मौरूसी एवं रहन मुर्तहिन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने बाबत फाईन्डिंग जारी की हुई है, जिस परिपत्र में उल्लेखित है कि इस श्रेणी के गैर खातेदारों से बिना किसी विक्रय पत्र या इकरारनामा के भूमि क्रय करली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हो, उन्हें सक्षम न्यायालय से स्वामित्व/कब्जे के बारे में निर्णय करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात् नियमितिकरण शुल्क व शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। जबकि वादी ने आराजी को जरिये इकरारनामा खरीद किया हुआ है तथा मौके पर वादी काबिज रहकर काश्त कर रहा है जिसके कारण वादी राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाकर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके कारण वादी को वाद पत्र दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि वास्ते वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण हस्ब वादी निम्न प्रकार डिग्री फरमाया जावे:-

Scanned by CamScanner

[अ] डिक्री दस्तकरारदहक मय दुरुस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावे कि हाल आ.ख.नं. 963/17-05 में शामिल साबिक ख.नं. 957/1-16 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढ़-बास विरसुसिंह पुत्र हरनामसिंह शरणार्थी आलोटी के कब्जा काश्त की आराजी थी जिसे भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल ख.नं. 963/ 17-05 में गलतरूप से शामिल कर सिवायचक दर्ज किया है जिसे वादी दुरुस्त कराने का अधिकारी है। तथा वादी ने उक्त आराजी जरिये इकरार नामा खरीद की है तथा मौके पर काबिज काश्त है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराकर कीमत भूमि जमा कोष कराकर वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे।

[ब] डिक्री हु.इ.दवामी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

[स] खर्चा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

[द] दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासीब समझे वादी को बख्शी जावे

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 2 ने एकबाल जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया तथा प्रतिवादी नं. 1 ने वाद को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया कि सम्वत् 2029 में भूमि सिवायचक दर्ज जिससे सिवायचक भूमि को बेचान करने का इन्दरसिंह को कोई अधिकार नहीं है। भूमि की पूर्व में खातेदारी दर्ज हो चुकी थी तथा खातेदार द्वारा अन्यत्र भूमि प्राप्त करने व वर्तमान भूमि से कब्जा छोड़ने से सिवायचक दर्ज की गई है। प्रार्थी का दावा अस्वीकार है। वाद में किशनसिंह द्वारा राशि जमा कराना अंकित किया है फिर पुनः राशि किस नियम से जमा कराना चाहता है। वादी का वाद गलत है। वर्तमान रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। जिसे किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति सिवाय राज्य सरकार द्वारा आवंटन के अतिर अधिकार नहीं है न ही बेचने के अधिकार है। मात्र कब्जा बनाये रखने की नियत से एक बनावटी इकरारनामा तैयार कराया गया है ताकि एल.आर. एक्ट की धारा 91[1] या 91[6] की कार्यवाही से बचता रहे। अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर वादी की साक्ष्य ली गई। वादी ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लु 1, व गवाह हारून पुत्र इमामदीन पी.डब्लु 2, शब्बीर पुत्र रहीम खां पी.डब्लु 3 के शपथ पत्र पेश किये हैं। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 1, नकल जमाब

सम्वत् 2029 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2011 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सं. 2015-18 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सं. 2019 प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी सं. 2070-73 प्रदर्श 6 व इकरारनामा दिनांक 15-5-12 पेश किये हैं।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि खातिक ख.नं. 957/1-16 वाके बोलनी निम्बुसिंह पुत्र हरनाथसिंह भवनाथों को दीगर आराजी के साथ अलोट हुई थी जिसका पूरा कीमत करार भी जमा कराया गया था। तब अलोटमेन्ट के समय से ही निम्बुसिंह काबिज रहा तथा उसके पश्चात उसका एक मात्र वारिस इन्दरसिंह पुत्र निम्बुसिंह काबिज होकर काश्त करता रहा। परन्तु भू-प्रबन्ध सम्वत् 2029 में भू-प्रबन्ध विभाग के कार्मचारियों व अधिकारियों ने उक्त खातिक ख.नं. 957/1-16 को हाल ख.नं. 963/17-05 में शामिल करते हुये विवादग्रस्त बंजड़ दर्ज कर दिया जो विपरीत कानून व विपरीत नियम के दर्ज किया गया है। निम्बुसिंह अलोटी के वारिस इन्दरसिंह पुत्र निम्बुसिंह ने उक्त आराजी को जरिये इकरारनामा दिनांक 15-5-12 को वादी बेचान कर सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया और तब से ही यानि दिनांक 15-5-12 से वादी निरन्तर काबिज काश्त है मौके पर आज भी कब्जा काश्त है। प्रति. नं. 2 सरिसिंह ने वादी के वाद को स्वीकार किया है। वादी उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि जो प्रति. नं. 2 के पिता को आवंटित हुआ है की कीमत कर्ता राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 30-3-12 के अनुसार जमा कोष कराकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी का कब्जा घोषित किया जाकर नियमानुसार राशि जमा कोष कराई जावे तथा सनद खातेदारी दी जावे। वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है:-

तनकी नं. 1:-
---------- आया खातिक ख.नं. 957/1-16 वाके ग्राम बोलनी तहसील चि. थाना निम्बासिंह पुत्र हरनाथसिंह भवनाथसिंह की अलोट हुआ गैरखातेदारी की कब्जे काश्त की आराजी थी? इस तनकी का भार वादी पर था इस तनकी को सिद्ध करने के लिये वादी ने नकल जमाबन्दी सं. 2011 प्रदर्श 3 व नकल जमाबन्दी सं. 2015 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सं. 2019 प्रदर्श 5 पेश की है जिसके अवलोकन से साबित है कि खातिक ख.नं. 957/1-16 वाके बोलनी दीगर आराजी के साथ निम्बासिंह पुत्र हरनाथसिंह को अलोट हुई थी। भू-प्रबन्ध सं. 2029 से पूर्व सम्वत् 2019 में निम्बासिंह अलोटी दर्ज रिकार्ड है जिससे साबित है कि उक्त आराजी विवादग्रस्त कृषि भूमि होने पर ही अलोट

Scanned by CamScanner

की गई थी। उक्त जमाबन्दीयात से यह तनकी बाखूबी साबित होती है। यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रति. तय की जाती है ।

तनकी नं. 2:-
--------आया भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गलतरूप से साबिक ख. नं. 957/1-16 को हाल ख. नं. 963/17-05 में शामिल करते हुये बंजड दर्ज करदिया जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है? इस तनकी का भार भी वादी पर था इस तनकी को सिद्व करने के लिये वादी ने नकल मिलानक्षेत्रफल प्रदर्श । पेश किया है जिससे साबित है कि साबिक ख. नं. 957/1-16 को हाल ख. नं. 963/17-05 में शामिल किया गया है तथा नकल जमाबन्दी भू-प्रबन्ध सं. 2029 के अवलोकन से साबित है कि अलोट शुदा भूमि को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल नं. 963/17-05 दर्ज करते हुये विवादग्रस्त बंजड दर्ज किया है जबकि भू-प्रबन्ध को पूर्व रिकार्ड अनुसार ही इन्द्राज दोहराना चाहिये था। अत: यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रति. तय की जाती है।

तनकी नं. 3:-
-------- आया खिल्लासिंह के वारिस हरिसिंह पुत्र खिल्लासिंह ने दिनांक 15-5-12 को जरिये इकरारनामा वादी को बाकब्जा विक्रय करदी जिस पर वादी काबिज काश्त है? इस तनकी का भार भी वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत असल इकरारनामा के अवलोकन से साबित हैकि हरिसिंह प्रति. नं. 2 द्वारा साबिक ख. नं. 957/1-16 का बेयान वादी को किया है जिस इकरारनामा में वादी को कब्जा दिया जाना भी अंकित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा द्वारा भी तहसीलदार बिजयनगर-दास से मौके पर कब्जे काश्त की बाबत रिपोर्ट ली गई । मौका रिपोर्ट दिनांक 7-8-19 के अनुसार भी उक्त आराजी पर वादी की कब्जा काश्त होना अंकित किया गया है। मौका रिपोर्ट अनुसार हाल ख. नं. 963 के रकबा 0.67 हे. में कपास की फसल व 0.40 में फसल बाजरा वादी द्वारा बोया जाना अंकित किया है। उक्त विवेचन अनुसार यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रति. तय की जाती है।

तनकी नं. 4:-
--------- आया वादी राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 30-3-12 के अनुसार आराजी की नियमानुसार कीमत जमा कराकर हकूक खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है? इस तनकी का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं. 2011 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सं. 2015 प्रदर्श 4 व नकल जमाबन्दी सं. 2019 प्रदर्श 5 से यह तथ्य बाखूबी साबित है कि साबिक ख. नं. 957/1-16 निष्क्रान्त भूमि थी जो खिल्लुसिंह पुत्र हरसासिंह शरणार्थी को कीमतन आवंटन हुई थी। जिस भूमि को खिल्लुसिंह के लडके हरिसिंह ने वादी को जरिये इकरारनामा दिनांक 15-5-12 को बाकब्जा विक्रय करदी

KR

Scanned by CamScanner

जो विक्रय अथवा हस्तान्तरण की श्रेणी में आता है। विक्रय कर्ता हरिसिंह ने इकरारनामा में वादी को मौके पर कब्जा दिया जाना अंकित किया है एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 7-8-19 के अनुसार भी मौके पर वादी के कब्जे काश्त होने की पुष्टि होती है। राज. सरकार के परिपत्र क्र: प. 1(15)राज-पुनर्वास/2009 दिनांक 30-3-12 के बिन्दु संख्या 5 में उल्लेख किया हुआ है कि "ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस परिपत्र में उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारों से बिना किसी विक्रय पत्र या इकरारनामा के भूमि क्रय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हो, उन्हें सक्षम न्यायालय से स्वामित्व/कब्जे के बारे में निर्णय करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात् बिन्दु सं. 3 के अनुसार नियमितीकरण शुल्क व शास्ति जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकेंगे।" साबिक जमाबन्दीयात से साबित है कि यह निष्क्रान्त आवंटित शुदा भूमि थी जो सम्वत् 2019 तक आवंटी के नाम दर्ज थी मगर सम्वत् 2029 में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना आवंटन निरस्त के ही सिवायचक खाते दर्ज करदी गई जो लिपिकीय भूल रही है। चूँकि दिनांक 15-5-12 से आज तक निरन्तर वादी के कब्जे काश्त की ताईद होती है। इसलिए यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रति. सं. तय की जाती है। वादी बमुजिब राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 30-3-12 के अनुसार उक्त भूमि राशि जमा कोष कराने पर हकूक खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>तनकी नं. 5:-</u> आया आराजी सम्वत् 2029 में सिवायचक दर्ज है जिसका बेचान करने का इन्दरसिंह को कोई अधिकार नहीं है वाद काबिल खारिज है? इस तनकी का भार प्रति. नं. 1 पर था प्रति. नं. 1 द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि साबिक ख. नं. 957/1-16 जो खिल्लुसिंह पुत्र हरतासिंह को कीमतन आवंटन किया गया था क्या कभी मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा आवंटन निरस्त करदिया गया था। जब आवंटन निरस्त नहीं किया गया तो आवंटी के हकूक कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता की इन्दरसिंह को बेचान के कोई अधिकार नहीं थे। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा आवंटित रकबे को गलतरूप से सिवायचक दर्ज किया गया है जो काबिले दुरुस्ती के है। अतः यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रति. नं. 1 तय की जाती है।

<u>तनकी नं. 6:-</u> आया वादी राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 30-3-12 के अधीन लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. वाद खारिज फरमाया जावे? इस तनकी का भार भी प्रति. नं. 1 पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए भी प्रति. नं. 1 द्वारा कोई कानूनी प्रमाण पेश नहीं किया। प्रति. नं. 1 इस तनकी को भी सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रति. नं. 1 तय की जाती है।

Scanned by CamScanner

अनुतोष :- 1- विवादित आराजी निष्क्रान्त कृषि भूमि है जो खिलाफ विधि एक हस्तांतरित शरणार्थी को कीमतन आवंटित होना साबित है। उक्त आवंटित भूमि का अवैध हस्तान्तरण वादी के पक्ष में होना साबित है। मौके पर वादी के कब्जे काश्त की तार्ईद होती है वर्तमान में वादी काबिज है।

2- राज.सरकार के परिपत्र दिनांक 30-3-12 में दिये गये प्रावधान के अनुसार वादी से भूमि की कीमत मय ब्याज , नियमिति करण शुल्क व शास्ति परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 अनुसार जमा कोष कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तन्कीवार किये गये विवेचनानुसार वादी का वाद साबित होता है वाद डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को तादाद ख.नं.957/1-16 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढ़-बास हाल ख.नं.963/17-05 में से रकबा 1-16बिस्वा का काबिज काश्तकार घोषित किया [redacted] जाता है। तथा वादी द्वारा 1950/=प्रति बीघा कीमत भूमि मय ब्यांज व नियमिति करण शुल्क 4000/= प्रति बीघा तथा 2000/= प्रति बीघा की दर से शास्ति जमा कोष कराने पर सनद खातेदारी जारी किये जानें के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास[अलवर]

Scanned by CamScanner

ालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

़दमा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय
112	20.7.19	11.9.19

उनवान

1. राजपाल सिंह पुत्र श्री हरीपाल सिंह जाति जाट निवासी बाराडा रोड किशनगढबास जिला अलवर
:–वादी:–

बनाम

1. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार (भूमिधारी) किशनगढबास
2. इन्दरसिंह पुत्र स्व श्री खिल्लासिंह उर्फ खिल्ला सिंह जाति लबाना सिंह निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:– प्रतिवादीगण:–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति:– 1.श्री तैयबखान वकील वादी की ओर से।
2.प्रति0नं02की ओर से इकबाल जवाबदावा

पर्चा डिकी

11.9.19

दाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादी को साबिक ख0न0 957/1–16 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास हाल ख0नं0 963/17–05 में से 1–16 बिस्वा का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादी द्वारा 1250/–रू प्रति बीघा कीमत भूमि मय ब्याज व नियमितिकरण शुल्क 4000/–रू प्रति बीघा तथा 2000/–रू प्रति बीघा की दर से शास्ति जमा कोष कराने पर सनद खातेदारी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner